न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी-- मुरारी लाल शर्मा आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
31/2019/प्रा.पत्र/2019	14.05.2021	01.10.2021

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

...... प्रार्थी

बनाम

1–श्री रघुवीर सिंह चौहान पुत्र श्री विनोद सिंह चौहान जाति दरोगा निवासी हमीरपुर तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक मैसर्स चौहान जनरल स्टोर बस स्टैण्ड हमीरपुर तहसील टोडारायसिंह जिला टोक

2– मैसर्स चौहान जनरल स्टोर बस स्टैण्ड हमीरपुर तहसील टोडारायसिंह जिला टोक

3–श्री मनोज कुमार जैन प्रोपरायटर मैसर्स अरविन्द ट्रेडर्स सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोक

4– मैसर्स अरविन्द ट्रेडर्स सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक

5–श्री आशीष कुमार गुप्ता पुत्र श्री सत्यनारायण गुप्ता निवासी ए–21 ईस्ट पार्ट शिव कॉलोनी स्कीम 4 एस माचेडा हरमाडा जयपुर राज0 नॉमिनी मैसर्स भारत फूड्स कॉ–ऑपरेटिव लिमिटेड दुकान नं0 1 व 2 प्लाट नं0 34 कामाणी फैक्ट्री रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया झोटवाडा जयपुर राज0 रजि0 ऑफिस–कमरा नं0 15 गिरिराज बिल्डिंग तुकाराम रोड मस्जिद बुन्देर मुम्बई/फैक्ट्री पता–खसरा नम्बर 189 ग्राम मिठीरोहर गांधीधाम कच्छ गुजरात।

6– मैसर्स भारत फूड्स कॉ–ऑपरेटिव लिमिटेड दुकान नं0 1 व 2 प्लाट नं0 34 कामाणी फैक्ट्री रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया झोटवाडा जयपुर राज0 रजि0 ऑफिस–कमरा नं0 15 गिरिराज बिल्डिंग तुकाराम रोड मस्जिद बुन्देर मुम्बई/फैक्ट्री पता–खसरा नम्बर 189 ग्राम मिठीरोहर गांधीधाम कच्छ गुजरात।

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2–अप्रार्थी उपस्थित

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:23:27 IST
Reason: SelfAttested

:–निर्णय–: **दिनांक 01.10.2021**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.10.2018 को समय 1.20 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स चौहान जनरल स्टोर बस स्टैण्ड हमीरपुर तहसील टोडारायसिंह जिला टोक पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से श्री

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

रघुवीर सिंह चौहान पुत्र श्री विनोद सिंह चौहान जाति दरोगा निवासी हमीरपुर तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक मैसर्स चौहान जनरल स्टोर बस स्टैण्ड हमीरपुर तहसील टोडारायसिंह जिला टोक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का विक्रेता होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान की रैक मे **रिफाइंड सोयाबीन तेल (सुमन ब्राण्ड)** जिसके बैच नं0 02 एंव पैकिंग की दिनांक अक्टूबर 2018 अंकित थी,रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. विक्रेता श्री रधुवीर सिंह चौहान को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता रधुवीर सिंह चौहान एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान की रैंक मे 20 मूल पैक पैक्ड अवस्था मे प्रत्येक 1–1 लीटर पैक **रिफाइंड सोयाबीन तेल (सुमन ब्राण्ड)** रखे हुये मे से 1–1 लीटर के चार मूल नग वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री रधुवीर सिंह चौहान को रू0 360/–अक्षरे तीन सौ साठ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **रिफाइंड सोयाबीन तेल (सुमन ब्राण्ड)** 1–1 लीटर पैक को ज्यो का त्यो एक–एक नग बराबर–बराबर चार भाग तैयार कर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–1970 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1970 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. रधुवीर सिंह चौहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।खाध पदार्थ का नमूना लेते समय श्री रधुवीर सिंह चौहान ने मौके पर **रिफाइंड सोयाबीन तेल (सुमन ब्राण्ड)** अतार का बिल मैसर्स अरविन्द ट्रेडर्स सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक का बिल क्रमांक/इन्वॉइस नं0 6808 दिनांक 24.10.2018 की छायाप्रति पेश की। मैसर्स अरविन्द ट्रेडर्स सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक से पत्राचार करने पर उनके द्वारा मैसर्स भारत फूड्स कॉ–ऑपरेटिव लिमिटेड दुकान नं0 1 व 2 प्लाट नं0 34

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:23:27 IST
Reason: Self Attested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

कामाणी फैक्ट्री रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया झोटवाडा जयपुर का खरीद बिल कमांक/इन्वाइस नं0 एनएसबीएलके/866 दिनांक 16.10.2018की छायाप्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./2018/3049 दिनांक 29.11.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1759/एक्ट/2018/428 दिनांक 16.11.2018 अनुसार रधुवीर सिंह चौहान से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया **रिफाइंड सोयाबीन तेल (सुमन ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **अवमानक**(Sub-Standard) स्तर का **रिफाइंड सोयाबीन तेल (सुमन ब्राण्ड)** का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 5 व 6 स्वंय एंव अप्रार्थी संख्या 1 ता. 4 के प्रतिनिधि द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **रिफाइंड सोयाबीन तेल (सुमन ब्राण्ड)** का विकय कर रहा था वह जांच में **अवमानक** (Sub-Standard)स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **रिफाइंड सोयाबीन तेल (सुमन ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक** (Sub-Standard)स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री रधुवीर सिंह चौहान पुत्र श्री विनोद सिंह चौहान जाति दरोगा निवासी हमीरपुर तहसील टोडारायसिह जिला टोंक मैसर्स चौहान जनरल स्टोर बस स्टैण्ड हमीरपुर तहसील टोडारायसिंह जिला टोक पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0) अप्रार्थी श्री मनोज कुमार जैन प्रोपराईटर मैसर्स अरविन्द ट्रेडर्स सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0) अप्रार्थी श्री आशीष कुमार गुप्ता पुत्र श्री सत्यनारायण गुप्ता निवासी ए–21 ... पार्ट शिव कॉलोनी स्कीम 4 एस

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:23:27 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

माचेडा हरमाडा जयपुर राज0 नॉमिनी मैसर्स भारत फूड्स कॉ–ऑपरेटिव लिमिटेड दुकान नं0 1 व 2 प्लाट नं0 34 कामाणी फैक्ट्री रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया झोटवाडा जयपुर राज0 रजि0 ऑफिस–कमरा नं0 15 गिरिराज बिल्डिंग तुकाराम रोड मस्जिद बुन्देर मुम्बई/फैक्ट्री पता–खसरा नम्बर 189 ग्राम मिठीरोहर गांधीधाम कच्छ गुजरात पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0) आरोपित की जाती हैअभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 01.10.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.10.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा)
न्याय निर्णित अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:23:27 IST
Reason: SelfAttested